तारीख हुक्म	प्रेमदास बनाम दुरामनि हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज 35/18	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
3/9/24	पत्रा० पेश हुई। वकुलाय उप० बाद गौर पत्रावली के अवलोकन के पश्चात वाद स० 35/18 उनवान प्रेमदास बनाम दुरामनि के साथ संलग्न वाद स० 189/89 उनवान हरिओम बनाम प्रेमदास का वाद अस्वीकार किया जाता है साथ ही मूलवाद सं० 35/18 उनवान प्रेमदास बनाम दुरामनि स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली की फुटि अहकाम आदेशिका दि० 23/09/2024 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा इसको मूल निर्णय के साथ पढ़ा जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भण्डार हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा–धौलपुर

(पीठासीन अधिकारी –सुश्री मनीषा कुमारी मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 35/18 दर्ज तिथिः– 26.3.18

1. प्रेमदास पुत्र द्वारिकादास कौम वैरागी निवासी करवा जरिहा तहसील राजाखेडा।
.....वादी

बनाम

1. चूरामन पुत्र जगन्नाथ कौम वैरागी निवासी करवा जरिहा तहसील राजाखेडा।
.....असल प्रतिवादी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारजी राजाखेडा व हैसियत लैन्ड होल्डर।
.....तरतीवी प्रतिवादीगण
3. हरिओम पुत्र नत्थीलाल जाति वैश्य साकिन करवा जरिहा तहसील राजाखेडा।

.....असल प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागणः–
वादी अधिवक्ताः– एड. अश्विनी कुमार जैन
प्रतिवादी पक्ष– एड. राजेन्द्र सिंह राना

दावा इस्तकरार हक मय
दुरूस्ती इन्द्राजात

–:निर्णयः– **निर्णय दिनांकः–23.09.2024**

1. आज पत्रावली अन्तर्गत धारा– 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी तथा प्रतिवादी नम्बर 1 एक ही मुस्तरका हिन्दू परिवार के सदस्य रहे है जिनका सिजरा निम्न हैः–

वद्रीदास

गोवर्धनदास	द्वारिकादास	वेदोदास (फौत)
जगन्नाथ	प्रेमदास	
चूरामन		

साबिक में निम्न विवादग्रस्त आराजीयात वादी 1/3 के हिस्से तथा प्रतिवादी न0 1 व उसके पिता व बाबा 1/3 हिस्सा तथा प्रार्थी के खास काका वेदोदास 1/3 हिस्सा की मुश्तरका खातेदारी काश्त व कब्जे की थी।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

2. यह है कि विवादित आराजी खसरा वाके करबा महदवार राजाखेडा ख.न. 2279 रकवा 1.1 , 2293 रकवा 1.11, 2256 रकवा 0.13 , 2280 रकवा 1.2 ख.न. 2294 रकवा 1.3 , 2257 रकवा 0.12 , 2290 रकवा 1.4 , 2251 रकवा 0.12 ख.न. 2258 रकवा 0.17 , 2291 रकवा 1.6 , 2292 रकवा 1.6 , 2252 रकवा 0.12 साथ ही विवादग्रस्त आराजी वाके करबा जरिहा राजाखेडा ख.न. 4071 रकवा 0.16, 1636 रकवा 1.6 विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम दिघी तहसील राजाखेडा 4072 रकवा 0. 18 उपरोक्त विवादित आराजीयात का आज से 24 साल पूर्व ही विवादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में वाहमी तौर पर उपरोक्त हिस्सेदारान के बीच बटवारा कर लिया गया है जिसके अनुसार खसरा नम्बर हाल 2279, 2280, 2281, 2283, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294 वाके करबा महदवार तथा खसरा नम्बर हाल 1636 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा, 4071 रकवा 16 विस्वा वाके करबा जरिहा तथा ख0न0 4072 रकवा 18 विस्वा वाके ग्राम दिघी तहसील राजाखेडा वादी तथा उसके खास काका वेदोदास के हिस्से व कब्जे में आये थे, तथा खसरा नम्बरान हाल 2251, 2252, 2256, 2257, 2258 प्रतिवादी नम्बर 1 व उसके पिता आदि के हिस्से में आई थी। प्रतिवादी नम्बर 1 का पिता गोवर्धनदास से पहले ही सम्वत 2015 में फौत हो गया था तत्पश्चात सम्बत 2026 दिनांक 25.12.69 सन 1968 में आकर गोवर्धन दास भी फौत हो गये । मृतक गोवर्धनदास की फौती के पश्चात मु0 चुरामन प्रतिवादी नम्बर 1 आराजी खसरा नम्बर हाल 2251, 2252, 2256, 2257, 2258 पर खातेदार काश्तकार की हैसियत से मौके पर काबिज है और मौके पर अलग से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है दीगर विवादग्रस्त आराजीयात से उसका कोई अधिकार सम्बन्ध व कब्जा नहीं है। मु0 वेदोदास वादी के शामिल सरीक ही रहता था चूंकि वेदोदास के कोई औलाद नही थी अतः वादी ही उसके खाने पीने कपडे आदि की व्यवस्था करता था और प्रेमदास वादी ही उसकी हर प्रकार से सेवा चाकरी करता था व आराम देता था। वेदोदास बूढा व कमजोर था काश्त के काबिल नहीं था अतः मौके पर वेदोदास के हिस्से की आराजी को प्रेमदास ही काश्त करता था। इन सब हालात में वेदोदास ने अपनी स्वेच्छा व खुशी से अपने हिस्से की आराजी तथा अन्य सम्पत्ति के वावत वादी के पक्ष में 2 जून 1968 को वसीयत कर दी थी और उसने जरिये वसीयतनामा तहरीर करके इकरार किया था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके हिस्से की आराजी व तमाम सम्पत्ति पर वादी ही उसका उत्तराधिकारी मालिक तथा कायम मुकाम रहेगा। मु0 वेदोदास दिनांक 16.9.1971 को फौत हो चुका है उसकी फौती के पश्चात वादी ही मृतक का एक मात्र जायज वारिस है और उसके हिस्से की निम्न आराजी तथा उसके द्वारा छोडी गई तमाम सम्पत्ति का मालिक है:— खसरा नम्बर हाल 2279, 2280, 2281, 2283, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294 वाके करबा महदवार खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

विस्वा, 1636 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा कस्बा जरिहा खसरा नम्बर 4072 रकवा 18 विस्वा ग्राम दिघी उपरोक्त असलियत के वाबजूद भी कागजात पटवार में पक्षकारान के हिस्से व कब्जे की आराजी के बावत इन्द्राजात गलत दर्ज चले आ रहे है अर्थात अर्जीदावा की मद नम्बर 4 में दर्ज आराजी के बावत द्वारिकादास के नाम और उसकी फौती के पश्चात वादी के नाम तथा अर्जी दावा की मद नम्बर 6 में दर्ज आराजी के बावत वादी तथा प्रतिवादी के नाम का खाता व इन्द्राजात दर्ज किये गये है उपरोक्त प्रकार के इन्द्राजात गलत व नाजायज है तथा काविल दुरूस्ती है। गलत इन्द्राजात से वादी के हकूको को आघात पहुंचता है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 के मन में भी बेइमानी नजर आने लगी है व भी वादी के हकूकों से इन्कारी होने लगा है, आज से एक सप्ताह पूर्व अपने अपने हिस्सेनुसार वादी ने प्रतिवादी न0 1 को वाहमी तौर पर खाता व इन्द्राजात की दुरूस्ती किये जाने को कहा किन्तु व स्पष्टतया इन्कारी हो गया अतः यही विनाय मुखासमत वास्ते दायरी दावा अन्दर अदालत श्रीमानजी पैदा हुयी है। वाद पत्र अन्दर म्याद पेश है तथा नियत कोर्ट फीस पर पेश किया जाता है उपरोक्त मामले में सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है दिनांक 11.7.76 न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रतिवादी हरिओम फरीक मुकदमा बनाने का आदेश दिया है इसलिए उसे प्रतिवादी नम्बर 2 बनाया जाता है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 का विवादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा नही है और न विवाद ग्रस्त आराजी में उसका कोई सम्बन्ध है तथा वादी प्रतिवादी नम्बर 3 के खिलाफ दावा ही चाहता है अन्त में निवेदन किया है कि यह घोषित किया जावे कि अर्जी दावा की मद न0 6 में दर्ज आराजी तन्हा वादी की खातेदारी काश्त व कब्जे की है तथा अरजी दावा की मद नम्बर 4 में दर्ज आराजी प्रतिवादी न0 1 की आराजी की खातेदारी काश्त व कब्जा तथा हिस्सा की है कागजता पटवार में उपरोक्त प्रकार से इन्द्राजात की दुरूस्ती की जावे तथा दीगर दादरसी जो भी न्यायानुकूल हो वादी को प्रदान किये जाने की कृपा की जावे।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिये अभिभाषक जबाव दावा प्रस्तुत कर दावा में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए कथन किया है कि अर्जी दावा में विवादग्रस्त आराजी के बावत इन्द्राजात की दुरूस्ती की जाने में मुझ प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जरिये अभिभाषक जबाव दावा प्रस्तुत कर दावा के कथनों को इन्कारी करते हुए कथन किया है कि विवादग्रस्त आराजी का वंटवारा नहीं हुआ है तथा मु0 वेदोदास न तो वादी के स्वामित्व सरीक ही रहता था और न वादी उसके खाने पीने व कपडे की व्यवस्था करता था और न ही वादी प्रेमदास उसकी कोई सेवा चाकरी करता था और वेदोदास ने कभी कोई वसीयतनामा वादी के हक में नही लिखा है वह निर वसीयत मरा था उसका हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

द्वारिकादास व गोवर्धनदास दोनों पर प्रकान्त हुआ था। आज भी मौके पर प्रति0 मुजीव निस्फ हिस्सेपर काबिज है और लगान अदा कर रहा है तथ फसल का लाभ प्राप्त कर रहा है।

4. पत्रावली में प्रस्तुत वाद पत्र एवं जबाव दावा प्रतिवादीगण के आधार पर निम्न तनकी कायम किए गए:—

1. आया कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 बद्रीदास के वारिस है।

.....वादी

2. आया कि गोवर्धनदास व द्वारिकादास की आराजी में निस्फ निस्फ भाग के एवं काबिज खातेदार काश्तकार थे।

.....वादी

3. आया कि दावा दायरी से करीब 24 वर्ष पूर्व वादग्रस्त आराजी का विभाजन हिस्सेदारान के मध्य हो गया था तथा मद क0 3 वादपत्र में अंकन अनुसार पृथक—पृथक काबिज हुये थे।

.....वादी

4. आया कि वेदोदास ने उक्त आराजी को दिनांक 02 जून 1968 में प्रेमदास के लिए वसीयत कर दी थ। यदि ऐसा है तो वाद पर क्या प्रभाव है।

.....वादी

5. आया कि कागजात पटवार में हिस्सेदारन के कब्जे के बावत गलत इन्द्राजात किये है वह काबिज दुरूस्ती है उक्त इन्द्राजात पृथक—पृथक हिस्से व कब्जे के अनुसार अंकित नहीं किये गये है।

.....वादी

6. आया कि वाद पत्र की मद सं0 6 में दर्ज आराजी वादी की काश्त व कब्जे की आराजी है व मद क0 01 वाद पत्र प्रति सं0 1 की कब्जे काश्त की आराजी है घोषित किया जावे।

.....वादी

7. आया कि प्रतिवादी सं0 3 को दिनांक 25.10.1968 को गोवर्धनदास ने विवादित आराजी से अपना हिस्सा वय कर दिया था। जिस पर रजिस्ट्री दिनांक से काबिज है।

..... प्रतिवादी सं0 3

8. आया कि प्रति स. 3 विवादित आराजी जो कय की है उसका विभाजन वाई मीटस एण्ड बाउण्ड करा पाने का अधिकारी है एवं कय आराजी में वह निस्फ खातेदार कृषक है।

..... प्रतिवादी सं0 3

9. आया कि प्रतिवादी सं0 3 के हिस्से में आयी आराजीयात पर वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

..... प्रतिवादी सं0 3

10. आया कि गोवर्धनदास को विवादित आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे तो इसका वाद पर क्या प्रभाव है।

..... वादी

11. आया कि वेदोदास ने तथा कथित वसीयत निष्पादित नहीं की है उसका हिस्सा गोवर्धनदास व द्वारिकादास दोनो पर प्रकान्त हुआ था।

..... प्रतिवादी सं0 3

12. दादरसी

5. वादी ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत किये। उक्त दस्तावेजीय साक्ष्य स्वीकार किये जाकर निम्न प्रकार प्रदर्श अंकित कर शामिल पत्रावली किये गये:—

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

1. तहरीर दस्तावेज वेदोदास वहक प्रेमदास (प्रदर्श–01)
2. जमाबन्दी संवत 2528 (प्रदर्श–02)
3. जमाबन्दी संवत 2932 (प्रदर्श–03)
4. खसरा गिरदावरी सम्बत 2427 (प्रदर्श–04)
5. खसरा गिरदावरी संवत 30–33 (प्रदर्श–05)
6. जमाबंदी सम्बत 2528 (प्रदर्श–06)
7. जमाबंदी सम्बत 2932 (प्रदर्श–07)
8. जमाबंदी सम्बत 3336 (प्रदर्श–08)
9. जमाबंदी सम्बत 2528 (प्रदर्श–09)
10. जमाबंदी सम्बत 24–27 (प्रदर्श–10)
11. खसरा गिरदावरी सम्बत 2427 (प्रदर्श–11)
12. खसरा गिरदावरी सम्बत 2427 (प्रदर्श–12)
13. खसरा गिरदावरी 2427 (प्रदर्श–13)
14. खसरा गिरदावरी 2629 (प्रदर्श–14)
15. खसरा गिरदावरी 26–29 (प्रदर्श–15)
16. खसरा गिरदावरी सं0 2629 (प्रदर्श–16)
17. खसरा गिरदावरी 31–33 (प्रदर्श– 17)
18. खसरा गिरदावरी 30–33 (प्रदर्श– 18)
19. खसरा गिरदावरी 30–33 (प्रदर्श– 19)
20. खसरा गिरदावरी 34–37 (प्रदर्श– 20)
21. खसरा गिरदावरी सम्बत 34–37 (प्रदर्श–21)
22. खसरा गिरदावरी सम्बत 34–37 (प्रदर्श– 22)
23. नामान्तकरण संख्या 0673 (प्रदर्श–23)
24. जमाबन्दी संवत 38–40 (प्रदर्श– 24)
25. नामान्तकरण संख्या 658 (प्रदर्श– 25)
26. रसीद नत्थीलाल वह गोवरधनदास (प्रदर्श– 26)
27. नामान्तकरण संख्या 127 (प्रदर्श– 27)
28. खसरा गिरदावरी ..... (प्रदर्श– 28)
29. जमाबंदी संवत 2932 (प्रदर्श– 29)
30. खसरा गिरदावरी सन 1967–68 (प्रदर्श– 30)
31. खसरा गिरदावरी सन 1967–68 (प्रदर्श– 31)
32. फोटो प्रति पट्टा। (प्रदर्श– 32

6. वादी ने अपने दावे के समर्थन में बयान गवाह बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये। उक्त बयान गवाह साक्ष्य स्वीकार किये जाकर शामिल पत्रावली किये गयेः–

- प्रेमदास पुत्र द्वारिकादास कौम बैरागी 84 कस्बा जरिहा तह0 राजाखेडा PW-1
- शिवदयाल पुत्र हुकमसिंह उम्र 64 वर्ष जाति चोबदार वार्ड न0 13 कस्बा जरिहा राजाखेडा । PW-2
- राजेन्द्र पुत्र भोपा उम्र 72 वर्ष जाति कुशवाह निवासी वार्ड न0 13 कस्बा जरिहा राजाखेडा । PW-3
- हरिओम पुत्र नत्थीलाल उम्र 75 वर्ष जाति वैश्य निवासी कस्बा जरिहा राजाखेडा जिला धौलपुर।
- DW-1 (आदेशिका दिनांक 22.8.2024 साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किया जाकर प्रस्तुत शपथ पत्र को ही साक्ष्य प्रतिवादी माना गया है।)

7. पत्रावली पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

यह घोषित किया जावे कि अर्जी दावा की मद न0 6 में दर्ज आराजी खसरा संख्या 2279, 2280, 2281, 2283, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294 वाके करबा महदवार खसरा नम्बर हाल 4071 रकबा 16 विस्वा, 1636 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा करबा जरिहा खसरा नम्बर 4072 रकबा 18 विस्वा ग्राम दिघी वादी की खातेदारी काश्त व कब्जे की है तथा अर्जी दावा की मद न0 4 में दर्ज आराजी खसरा संख्या 2251, 2252, 2256, 2257, 2258 प्रतिवादी न0 1 की आराजी की खातेदारी काश्त व कब्जा तथा हिस्सा की है।

8. प्रकरण में वकील वादी द्वारा दौरान–ए–बहस यह निवेदन किया है कि उक्त विवादित आराजी का दावा दायरी से करीबन 24 वर्ष पूर्व में ही परिवार में मौखिक रूप से बंटवारा हो गया था तथा उसी अनुसार पक्षकारान काबिज होकर काश्त कर रहे है जिसके संबंध में वकील वादी ने एक न्यायिक नजीर kale and others v/s Deputy director of consolidation ors on 21 january 1976 – (equivalent citations: 1976 AIR 807) family settlement "it may be Oral" पेश की। उक्त न्यायिक नजीर के अवलोकन से स्पष्ट साबित होता है कि परिवार के सदस्य साथ बैठकर विवादित आराजी का मौखिक रूप से बंटवारा कर लेते है। तो जिस प्रकार से बाहमी बंटवारा किया जाता है वो विधिक रूप से मान्य होता है। अतः उक्त न्यायिक नजीर इस प्रकरण पर चस्पा होती है।

9. इस प्रकार प्रकरण में एक अन्य न्यायिक नजीर Murugesan v/s Subash Chandrabose on 13 oct 2017 (madurai bench of madras high court) – the suit properties and other properties originally belonged to one Veerapathiran Servai. He had five sons. by names. Vellaisamy. Arunachalam. Pnachavarnam, Ganesan and Arumugam. After the death of Veerapathiran servai, his son entered into an oral partition about 50 years back and all the suit properties were allotted to one, Panchavarnam, the father of the plaintiff. उक्त प्रकरण में एक व्यक्ति के पॉच वारिस थे। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी आराजी पांच वारिसान के बीच विभाजित हो गई। परन्तु उस व्यक्ति के द्वारा 50 वर्ष पूर्व परिवार में मौखिक रूप से बाहमी बंटवारा किया गया। जिसके अनुसार उसकी सम्पत्ति में 50 वर्ष पूर्व जो मौखिक रूप से बाहमी बंटवारा किया गया था, उसी के अनुसार सम्पत्ति का दुरूस्ती की गई। अतः उक्त न्यायिक नजीर इस प्रकरण पर चस्पा होती है।

10. प्रकरण में इसी प्रकार एक अन्य न्यायिक नजीर Smt. Chandrkala Dadhich vs Shri Harish Joshi (2023/Rjjd/015824) on 17 May, 2023 उक्त न्यायिक नजीर इस प्रकरण पर चस्पा होती है।

11. वकील प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान जबाव दावा के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी का वंटवारा नहीं हुआ है तथा मु0 वेदोदास न तो वादी के स्वामित्व सरीक ही रहता था और न वादी उसके खाने

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

पीने व कपडे की व्यवस्था करता था और न ही वादी प्रेमदास उसकी कोई सेवा चाकरी करता था और वेदोदास ने कभी कोई वसीयतनामा वादी के हक में नही लिखा है वह निर वसीयत मरा था उसका हिस्सा द्वारिकादास व गोवर्धनदास दोनों पर प्रकान्त हुआ था। आज भी मौके पर प्रति० मुजीब निस्फ हिस्सेपर काबिज है और लगान अदा कर रहा है तथ फसल का लाभ प्राप्त कर रहा है।

12. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

13. प्रकरण में गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 का उद्धरण यहा प्रासंगिक प्रतीत होता है–

> ***88. Suits for declaration of right***— *(1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.*
>
> *(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.*
>
> *(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.*
>
> *(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.*

14. उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 88 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत अपना प्रकरण साबित करना अनिवार्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 उद्धरण इस प्रकार है:–

> ***15. Khatedar tenants***— *(1) Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180 every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force shall be a Khatedar tenant and*

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा जिला–धौलपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act:

Provided that no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant, to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project area or any other area notified in this behalf by the State Government.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) Khatedari rights shall not accrue there under to any person to whom land had been let out before the commencement of this Act by the State Government in furtherance of the Grow More Food Campaign or under some special order subject to some specified conditions or in pursuance of some statutory or non-statutory rules and who shall have, before such commencement, made a default in securing the objective of such campaign or a breach of any such order, condition or rule.

(3) Any person referred to in sub-section (2) may, within three years from the date of commencement of this Act and on payment of a court-fee of twenty five naye paise apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that acquired Khatedari right under sub-section (1) in the land held by him.

(4) Such application may be made on any of the following grounds, namely:

(a) that the land held by him was let out to him after the" commencement of this Act.

(b) that it was not let out to him in any of the circumstances specified in sub-section (2).

(c) that when the- land was so let out to him he was not apprised of such circumstances.

(d) that he had, before such commencement made no default or breach of the nature specified in sub-section (2).

(5) The Assistant Collector shall, upon the presentation of an application under sub-section (3), make inquiry in the prescribed manner and afford reasonable opportunity to the applicant of being heard and shall, if he does not reject the application , declare the applicant to have become Khatedar tenant of his holding in accordance with and subject to the provisions of the subsection (I).

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा जिला-धौलपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

15. धारा –15 के उद्धरण से स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार धारा 15 में उल्लेखित स्थितियों में ही प्राप्त किये जा सकते है। वर्तमान प्रकरण में वादीगण द्वारा अपने पूर्वजो के समय से ही विवादित आराजी पर कब्जा होना तथा पूर्वजों के समय से ही उक्त विवादित आराजीयात के साबिक राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज रिकार्ड होने आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है।

16. प्रकरण में गहन विशलेषण से पूर्व तनकीवार विश्लेषण किया जाना आवश्यक है जो इस प्रकार से है–

17. प्रकरण में तनकी संख्या 01 का निष्कर्ष इस प्रकार है कि आया कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 बद्रीदास के वारिस है। तनकी संख्या 01 को साबित करने का भार वादी पर था जो कि वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में अंकित/प्रदर्शित सजरा से साबित होता है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 बद्रीदास के वारिसान है। अतः तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

18. प्रकरण में तनकी संख्या 02 का निष्कर्ष इस प्रकार है कि आया कि गोवर्धनदास व द्वारिकादास की आराजी में निस्फ निस्फ भाग के एवं काबिज खातेदार काश्तकार थे। तनकी संख्या 02 को साबित करने का भार वादी पर था जो इस प्रकार से है कि वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में जो दस्तावेजात पेश किये गये है उनमें से एक दस्तावेज प्रदर्श–3 नकल जमाबंदी सम्वत् 2029–2032 के मेहदवार स्थिति विवादग्रत आराजी पर गोवर्धनदास व द्वारिकादास का बराबर–बराबर हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार तनकी संख्या 02 भी वादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

19. प्रकरण में तनकी संख्या 03 का निष्कर्ष इस प्रकार है कि आया कि दावा दायरी से करीब 24 वर्ष पूर्व वादग्रस्त आराजी का विभाजन हिस्सेदारान के मध्य हो गया था तथा मद क0 3 वादपत्र में अंकन अनुसार पृथक–पृथक काबिज हुये थे। तनकी संख्या 03 को साबित करने का भार वादी पर था। जिसके संबंध में यह है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संबंध में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दिनांक 23.02.1979 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है जिसके पैरा संख्या 02 के अवलोकन व दावा दायरी से करीब 24 वर्ष पूर्व वादग्रस्त आराजी का बाहमी विभाजन किये जाने के पश्चात् के साबिक राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट साबित होता है कि आराजी खसरा संख्या 2279, 2280, 2281, 2283, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294 वाके कस्बा महदवार खसरा नम्बर हाल 4071 रकवा 16 विस्वा, 1636 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा कस्बा जरिहा खसरा नम्बर 4072 रकवा 18 विस्वा ग्राम दिघी वादी के हिस्से की खातेदारी आराजी है। अतः तनकी संख्या 03 भी वादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

20. प्रकरण में तनकी संख्या 04 का निष्कर्ष इस प्रकार से है आया कि वेदोदास ने उक्त आराजी को दिनांक 02 जून 1968 में प्रेमदास के लिए वसीयत कर दी थी।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

यदि ऐसा है तो वाद पर क्या प्रभाव है। उक्त तनकी को सिद्व करने का भार भी वादी पर था जिसके संबंध में वादी ने तहरीर दस्तावेज वेदोदास वहक प्रेमदास (प्रदर्श–01) पेश की है जिसके अवलोकन से साबित होता है कि वेदोदास के कोई विधिक वारीस नही होने की स्थिति में उसने अपने जीवित रहते हुये अपने हिस्से की आराजी दिनांक 02.06.1968 को वादी के पक्ष में वसीयत कर दी। जिससे तनकी संख्या 04 भी वादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

21. प्रकरण में तनकी संख्या 05 का निष्कर्ष इस प्रकार से है आया कि कागजात पटवार में हिस्सेदारन के कब्जे के बावत गलत इन्द्राजात किये है वह काबिज दुरूस्ती है उक्त इन्द्राजात पृथक–पृथक हिस्से व कब्जे के अनुसार अंकित नहीं किये गये है। उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था जो इस प्रकार से है कि वेदोदास के द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 02.06.1968 को जो वसीयत की गई जिससे वेदोदास की हिस्से की आराजी पर वादी का कानून हक्क बनता था जिसके आधार पर वादी को वेदोदास का वारिस मानते हुये वादी का पटवार कागजात में भी अमल दरामद हो चुका था परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात पृथक–पृथक हिस्से व कब्जे के अनुसार अंकित नहीं किये गये है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खिलाफ मौका व कानून दर्ज रिकार्ड है जो कि काबिल–ए–दुरूस्ती है। इस प्रकार तनकी संख्या 05 भी वादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

22. प्रकरण में तनकी संख्या 06 का निष्कर्ष इस प्रकार से है आया कि वाद पत्र की मद सं0 6 में दर्ज आराजी वादी की काश्त व कब्जे की आराजी है व मद क0 01 वाद पत्र प्रति सं0 1 की कब्जे काश्त की आराजी है घोषित किया जावे। उक्त तनकी को सिद्व करने का भार भी वादी पर था। जिसके संबंध में वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में खसरा गिरदावरी 34–37 (प्रदर्श– 20) पेश की है जिसके अवलोकन से साबित होता है कि खसरा संख्या 2279, 2280, 2281, 2283, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294 वाके कस्बा महदवार खसरा नम्बर हाल 4071 रकवा 16 विस्वा, 1636 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा कस्बा जरिहा खसरा नम्बर 4072 रकवा 18 विस्वा ग्राम दिघी वादी के हिस्से की खातेदारी आराजी तथा खसरा संख्या 2251, 2252, 2256, 2257, 2258 प्रतिवादी न0 1 की आराजी की खातेदारी काश्त व कब्जा की खातेदारी आराजी है। अतः तनकी संख्या 06 भी वादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

23. प्रकरण में तनकी संख्या 07 का निष्कर्ष इस प्रकार से है आया कि प्रतिवादी सं0 3 को दिनांक 25.10.1968 को गोवर्धनदास ने विवादित आराजी से अपना हिस्सा वय कर दिया था। जिस पर रजिस्ट्री दिनांक से काबिज है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 03 पर था। प्रतिवादी संख्या 03 ने दिनांक 25.10.

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

1968 का रजिस्टर्ड बैयनामा पेश किया है। जो कि हाजा न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नही आता है। अतः तनकी संख्या 07 अस्वीकार की जाती है।

24. प्रकरण में तनकी संख्या 08 का निष्कर्ष इस प्रकार से है आया कि प्रति स. 3 विवादित आराजी जो कय की है उसका विभाजन वाई मीटस एण्ड बाउण्ड करा पाने का अधिकारी है एवं कय आराजी में वह निरफ खातेदार कृषक है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 03 पर था। प्रतिवादी संख्या 03 ने जो विवादित आराजी क्रय की है उसका विभाजन वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड कराने का अधिकारी है परन्तु उक्त वाद पत्र में विवादित आराजी का तकसीम की कोई रिलीफ नही चाही गई जबकि उक्त वाद पत्र दुरूस्ती मय इन्द्राज का है। अतः उक्त तनकी संख्या 08 भी अस्वीकार की जाती है।

25. प्रकरण में तनकी संख्या 09 का निष्कर्ष इस प्रकार से है आया कि प्रतिवादी सं0 3 के हिस्से में आयी आराजीयात पर वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द करा पाने का अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्व करने का भार भी प्रतिवादी संख्या 03 पर था। उक्त विवादित आराजी के साबिक राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से तथा तकनी संख्या 02 व 03 वादी के पक्ष में स्वीकार की गई है जिससे साबित होता है कि उक्त विवादित आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 कब्जे काश्त है। अतः सुविधा का सन्तुलन प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष में साबित नही होने के कारण उक्त तनकी संख्या 09 भी अस्वीकार की जाती है।

26. प्रकरण में तनकी संख्या 10 का निष्कर्ष इस प्रकार से है आया कि गोवर्धनदास को विवादित आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे तो इसका वाद पर क्या प्रभाव है। उक्त तनकी संख्या 10 को साबित करने का भार वादी पर था। जिसके संबंध में कथन किया है कि वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में जो परिवार का सजरा पेश किया जिसमें बद्रीदास के फौत हो जाने के पश्चात् गोवर्धनदास, द्वारिकादास, वेदोदास के नाम विरासत का इन्तकाल दर्ज हो गया। जो कि साबिक राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट साबित है। अतः गोवर्धनदास को विवादित आराजी में अपने पूर्वजों से अधिकार प्राप्त हुये थे। तनकी संख्या 10 भी वादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

27. प्रकरण में तनकी संख्या 11 का निष्कर्ष इस प्रकार से है आया कि वेदोदास ने तथा कथित वसीयत निष्पादित नहीं की है उसका हिस्सा गोवर्धनदास व द्वारिकादास दोनो पर प्रकान्त हुआ था। उक्त तनकी को स्वीकार करने का भार प्रतिवादी संख्या 03 पर था। प्रतिवादी संख्या 03 ने कथन किया कि वेदोदास ने तथा कथित वसीयत निष्पादित नहीं की है उसका हिस्सा गोवर्धनदास व द्वारिकादास दोनो पर प्रकान्त हुआ था। तहरीर दस्तावेज वेदोदास वहक प्रेमदास (प्रदर्श–01) पेश की है जिसके अवलोकन से साबित होता है कि वेदोदास के कोई विधिक वारीस नही होने

उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)

की स्थिति में उसने अपने जीवित रहते हुये अपने हिस्से की आराजी दिनांक 02.06. 1968 को वादी के पक्ष में वसीयत कर दी। जिरासे वेदोदास का हिस्सा वादी के हिस्से में प्रकान्त हुआ था ना कि वेदोदास का हिस्सा गोवर्धनदास व द्वारिकादास के हिस्से में प्रकान्त हुआ था। अतः तनकी संख्या 11 भी अस्वीकार की जाती है।

28. उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवादित आराजीयात का दावा दायरी से 24 साल पूर्व ही विवादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में पारिवारिक समझौता (Family Arrangement) पर उपरोक्त हिस्सेदारान के बीच वटवारा कर लिया गया है जिसके अनुसार खसरा नम्बर हाल 2279, 2280, 2281, 2283, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294 वाके कस्बा महदवार तथा खसरा नम्बर हाल 1636 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा, 4071 रकवा 16 विस्वा वाके कस्बा जरिहा तथा ख0न0 4072 रकवा 18 विस्वा वाके ग्राम दिघी तहसील राजाखेडा वादी तथा उसके खास काका वेदोदास के हिस्से व कब्जे में आये थे, तथा खसरा नम्बरान हाल 2251, 2252, 2256, 2257, 2258 प्रतिवादी नम्बर 1 व उसके पिता आदि के हिस्से में आई थी के अनुसार दावा वादी स्वीकारना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी बाबत् इन्द्राज मय दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है एवं विवादित आराजी का हाल राजस्व रिकार्ड हजफ किया जाकर हाल आराजी खसरा संख्या 2279, 2280, 2281, 2283, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294 वाके कस्बा महदवार तथा खसरा नम्बर हाल 1636 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा, 4071 रकवा 16 विस्वा वाके कस्बा जरिहा तथा ख0न0 4072 रकवा 18 विस्वा वाके ग्राम दिघी तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है साथ ही आराजी खसरा संख्या 2251, 2252, 2256, 2257, 2258 वाके ग्राम महदवार का प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार राजाखेडा को तहरीर जारी हो। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावें।

आज यह निर्णय दिनांक 23.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से खारिज होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(मनीषा कुमारी मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा
जिला-धौलपुर